भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4447
19.07.2019 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण

4447. श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुनिल बाबूराव मेंधे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के संवर्धन के लिए राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के वन क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु कोई समेकित योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों में वन संरक्षण हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को बढावा देने हेतु जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'वन और वन्यजीव क्षेत्रों में पारि-पर्यटन संबंधी नीति' का एक प्रारूप तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को इस कार्य में शामिल करते हुए ऐसे प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना है जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़े और जिससे पारिस्थितिकीय अखंडता सुनिश्चित की जा सके। पारि-पर्यटन नीति में समुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास रहने वाले लोगों को 'हरित कौशल विकास' के जरिए दिए गए कौशल प्रशिक्षण सहित आवश्यक कौशलों के प्रशिक्षण के माध्यम से पारि-पर्यटन कार्यकलापों में शामिल किया जाना है, जिससे अंततः लोग पारि-पर्यटन कार्यकलापों से जीविकोपार्जन करने में सक्षम होंगे।

(घ) वनों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) जैसी विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। वनीकरण संबंधी कार्यकलाप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के तहत और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों/योजनाओं के तहत भी संचालित किए जा रहे हैं। हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य

भारत के वनावरण को संरक्षित करना, उसे बहाल करना तथा उसमें वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्रवाई करना है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) केन्द्र-प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से वनीकरण करना और अवक्रमित वनों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय बहाली करना है। विकास कार्यों के कारण वनों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, प्रयोक्ता एजेंसियों से संगृहीत तथा प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) में जमा की गई निधियों से गैर-वन भूमि और अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा, अपवर्तित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य को भी प्रतिपूरक वनीकरण कोष में जमा किया जाता है और उसका उपयोग वन अपवर्तन के कारण होने वाली क्षति की पारिस्थितिकी बहाली के लिए अतिरिक्त वनीकरण तथा संबद्ध वानिकी कार्यकलापों के लिए किया जाता है।

*****

अनुबंध

''वन संरक्षण'' के संबंध में श्री रविन्दर कुशवाहा:, श्री रवि किशन: और श्री सुनिल बाबूराव मेंधे द्वारा दिनांक **19.07.2019** को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. **4447** के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17		
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	करोड़ रू. में जारी राशि
1	अण्डमान और निकोबार	0.13
2	आंध्र प्रदेश	0.19
3	अरुणाचल प्रदेश	0.20
4	असम	1.85
5	चंडीगढ़	4.41
6	छत्तीसगढ़	0.41
7	दिल्ली	15.50
8	गोवा	0.05
9	गुजरात	12.23
10	हरियाणा	1.46
1 1	हिमाचल प्रदेश	2.34
12	जम्मू और कश्मीर	0.59
13	झारखंड	0.85
14	कर्नाटक	9.32
15	केरल	1.51
16	लक्षद्वीप	0.17
17	मध्य प्रदेश	26.76
18	महाराष्ट्र	6.02
19	मणिपुर	0.60
20	मेघालय	0.21
21	मिजोरम	1.07
22	नगालैंड	0.20
23	ओडिशा	2.20
24	पुडुचेरी	0.21
25	राजस्थान	2.25
26	सिक्किम	13.95
27	तमिलनाडु	15.49
28	तेलंगाना	24.84
29	त्रिपुरा	0.22
30	उत्तर प्रदेश	4.36
31	उत्तराखंड	26.54
32	पश्चिम बंगाल	7.65

अनुबंध

2016-17		
केंद्र- प्रायोजित योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	करोड़ रू. में जारी राशि

1	आंध्र प्रदेश	5.08
2	अरुणाचल प्रदेश	11.36
3	असम	18.31
4	बिहार	9.11
5	छत्तीसगढ़	37.71
6	दिल्ली	0.50
7	गुजरात	98.47
8	हरियाणा	6.34
9	हिमाचल प्रदेश	7.68
10	जम्मू और कश्मीर	4.32
1 1	झारखंड	6.19
12	कर्नाटक	51.35
13	केरल	33.60
14	मध्य प्रदेश	151.38
15	महाराष्ट्र	116.90
16	मणिपुर	14.71
17	मेघालय	3.68
18	मिजोरम	33.89
19	नगालैंड	11.11
20	ओडिशा	25.59
21	पुडुचेरी	0.10
22	पंजाब	0.02
23	राजस्थान	23.81
24	सिक्किम	13.46
25	तमिलनाडु	17.03
26	तेलंगाना	2.39
27	त्रिपुरा	2.13
28	उत्तर प्रदेश	43.34
29	उत्तराखंड	24.91
30	पश्चिम बंगाल	12.58

अनुबंध

2017-18		
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	करोड़ रू. में जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	1.90
2	अरुणाचल प्रदेश	0.45

3	असम	2.92
4	बिहार	1.97
5	चंडीगढ़	3.53
6	छत्तीसगढ़	1.20
7	दिल्ली	16.84
8	गोवा	0.76
9	गुजरात	5.02
10	हरियाणा	0.49
1 1	हिमाचल प्रदेश	2.23
12	जम्मू और कश्मीर	0.45
13	झारखंड	0.59
14	कर्नाटक	0.61
15	केरल	2.03
16	लक्षद्वीप	0.03
17	मध्य प्रदेश	10.44
18	महाराष्ट्र	2.62
19	मणिपुर	2.73
20	मेघालय	0.17
21	मिजोरम	1.60
22	नगालैंड	1.73
23	ओडिशा	4.07
24	पुडुचेरी	0.16
25	पंजाब	3.50
26	राजस्थान	1.05
27	सिक्किम	0.36
28	तमिलनाडु	20.53
29	तेलंगाना	27.54
30	त्रिपुरा	0.50
31	उत्तर प्रदेश	3.98
32	उत्तराखंड	1.03
33	पश्चिम बंगाल	38.79

अनुबंध

2017-18		
केंद्र- प्रायोजित योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	करोड़ रू. में जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	11.12
2	अरुणाचल प्रदेश	13.12
3	असम	26.65
4	बिहार	18.88
5	छत्तीसगढ़	42.46
6	दिल्ली	0.30
7	गोवा	3.97

8	गुजरात	76.99
9	हरियाणा	5.58
10	हिमाचल प्रदेश	7.86
1 1	जम्मू और कश्मीर	37.55
12	झारखंड	6.45
13	कर्नाटक	36.59
14	केरल	28.54
15	मध्य प्रदेश	144.74
16	महाराष्ट्र	128.50
17	मणिपुर	17.13
18	मेघालय	6.31
19	मिजोरम	34.71
20	नगालैंड	17.70
21	ओडिशा	38.13
22	पुडुचेरी	0.67
23	पंजाब	56.97
24	राजस्थान	18.09
25	सिक्किम	23.36
26	तमिलनाडु	40.32
27	तेलंगाना	6.12
28	त्रिपुरा	5.70
29	उत्तर प्रदेश	13.80
30	उत्तराखंड	57.08
31	पश्चिम बंगाल	16.66

अनुबंध

2018-19		
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं		
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**करोड़ रू. में जारी राशि**
1	आंध्र प्रदेश	2.21
2	अरुणाचल प्रदेश	0.53
3	असम	7.62
4	बिहार	0.49
5	चंडीगढ़	0.89
6	छत्तीसगढ़	1.82
7	दिल्ली	13.90
8	गोवा	0.10
9	गुजरात	7.07

1 1	हिमाचल प्रदेश	3.36
12	जम्मू और कश्मीर	0.21
13	झारखंड	0.95
14	कर्नाटक	2.36
15	केरल	7.04
16	लक्षद्वीप	0.14
17	मध्य प्रदेश	13.27
18	महाराष्ट्र	4.14
19	मणिपुर	3.07
20	मेघालय	1.76
21	मिजोरम	1.60
22	नगालैंड	0.95
23	ओडिशा	2.29
24	पुडुचेरी	0.15
25	पंजाब	2.88
26	राजस्थान	4.57
27	सिक्किम	1.29
28	तमिलनाडु	22.02
29	तेलंगाना	3.10
30	त्रिपुरा	2.32
31	उत्तर प्रदेश	3.86
32	उत्तराखंड	29.12
33	पश्चिम बंगाल	8.16

अनुबंध

2018-19		
केंद्र- प्रायोजित योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	करोड़ रू. में जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	15.96
2	अरुणाचल प्रदेश	13.63
3	असम	26.90
4	बिहार	21.68
5	छत्तीसगढ़	25.25
6	दिल्ली	5.43
7	गोवा	0.88
8	गुजरात	85.34
9	हरियाणा	3.06
10	हिमाचल प्रदेश	7.73
1 1	जम्मू और कश्मीर	35.79
12	झारखंड	6.42
13	कर्नाटक	47.04

14	केरल	28.27
15	मध्य प्रदेश	105.08
16	महाराष्ट्र	159.70
17	मणिपुर	22.57
18	मेघालय	8.52
19	मिजोरम	39.96
20	नगालैंड	32.71
21	ओडिशा	44.87
22	पुडुचेरी	1.00
23	पंजाब	0.09
24	राजस्थान	16.92
25	सिक्किम	60.42
26	तमिलनाडु	36.30
27	तेलंगाना	11.16
28	त्रिपुरा	1.54
29	उत्तर प्रदेश	28.06
30	उत्तराखंड	36.29
31	पश्चिम बंगाल	20.14

*****